



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.17(11)परि/2019

जयपुर, दिनांक:- 19/08/2020

आदेश

माह अप्रैल, 2020 के मोटर वाहन कर की रोकी गई अनुमानित राशि रु. 900.00 लाख लेखाशीर्ष 3055-00-190-(12)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) में प्रावधित राशि में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102003665 दिनांक 18.08.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

8/1

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 19/08/2020

क्रमांक:- प.17(11)परि/2019

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार भुगतान करने से पूर्व दावे की जाँच एवं पुनर्भरण योग्य राशि का प्रमाणीकरण अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराएँ।
11. सहायक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
13. सिस्टम एनालिस्ट परिवहन विभाग जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन